

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय


क्रमांक—एफ—३/८५/२००९/३२
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३ / ०९ / २०१५

✓आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
विषय :— खुरई विकास योजना २०२१ का प्रकाशन।

उपरोक्त विषय में विभागीय सूचना दिनांक ३/९/२०१५ की ~~ब्लॉक~~ प्रतियों
संलग्न है। निर्देशानुसार लेख है कि उक्त सूचना से संबंधित समस्त अभिलेख एवं
मानचित्र संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर एवं मुख्य
नगर पालिका अधिकारी खुरई को आम जनता के अवलोकन हेतु रखवाने का कष्ट
करें तथा उक्त सूचना का नगर तथा ग्राम निवेश की बेबसाईट पर भी ड़लवाने का
कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि


(सुप्रिया घेंडके)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल दिनांक 3/9/2015

क्रमांक-एफ-3/85/2009/32 : एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत खुरई निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 03/09/2015 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालवधि में निरीक्षण किया जा सकेगा -

- में निरीक्षण किया जा सकता है।

 - (1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग कक्ष कमांक-302 बॉल तृतीय तल मंत्रालय भौपाल।
 - (2) कलेक्टर सागर म0प्र0।
 - (3) संयुक्त संचालक नगर तथा प्राम निवेश जिला कार्यालय सागर।
 - (4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, खुरई।

उपांतरण का विवरण:-

1. मध्यप्रदेश सड़क विकास नियम द्वारा पूर्व से दोक्षण हात हुय पाईचम रक पिपल बाग। प्रस्तावित बायपास मार्ग के लिये अन्य रेखाकंन के आधार पर भू-अर्जन किया जा चुका है। अतः उक्त भू- अर्जन के रेखाकंन के आधार पर विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग का रेखाकंन परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। नये रेखाकंन अनुसार मार्ग से प्रभावित होने वाले ग्राम एवं खसरों की सूची उपांतरण में सम्मिलित है। मार्ग के रेखाकंन के प्रस्तावित परिवर्तन के कारण अन्य नगरीय उपयोगों में होने वाले आशिक परिवर्तनों को भी उपांतरण में सम्मिलित किया गया है। सूची उपांतरण में संलग्न है।

2. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012-पर कार्रवाई की है :—
विकास योजना की पुस्तिका की कंडिका 4.17, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4 सारणी 6-सा-2 की विभिन्न टीपे, 6.4.1, 6.4.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.7.2, 6.7.3, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 की सारणी 6-सा-15, वाणिज्यिक सारणी, 6-सा-15 आद्यांगिक, 6.12.1, 6.13, 6.16, अध्याय-7 की कंडिका 7.1, 7.3, प्रस्तावित किया है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

है। 3 उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, कक्ष क्रमांक 302-बी, दृष्टीय तल मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(एस.के.मुद्राल)

३५

मध्य प्रदेश शासन

प्रवासी नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल, दिनांक—03 सितम्बर 2015

क्रमांक—एफ—३—८५/३२/१० एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (२३ सन् १९७३) की धारा १९ (२) के प्रावधान्तर्गत राज्य सरकार ने खुरई विकास योजना (प्रारूप) २०२१ में निम्नानुसार उपार्तरण प्रस्तावित किये हैं :—

अधिसूचना में उपार्तरण विवरण

१. म०प्र० सड़क विकास नियम द्वारा पूर्व से दक्षिण होते हुये पश्चिम तक विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग के लिये अन्य रेखांकन के आधार पर भू अर्जन किया जा चुका है। अतः उक्त भू अर्जन के रेखांकन के आधार पर विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग का रेखांकन परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। नये रेखांकन अनुसार मार्ग से प्रभावित होने वाले ग्राम एवं खसरों की सूची उपार्तरण में सम्मिलित है। मार्ग के रेखांकन के प्रस्तावित परिवर्तन के कारण अन्य नगरीय उपयोगों में होने वाले आंशिक परिवर्तनों को भी उपार्तरण में सम्मिलित किया गया है। सूची उपार्तरण में संलग्न है।

२. म०प्र० भूमि विकास नियम २०१२ के कारण प्रस्तावित उपार्तरण

अनुक्र.	उपार्तरण विवरण
१	४.१७ प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र

खुरई निवेश क्षेत्र परिसंकट उन्मुख क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। नगर में स्थित तालाब के किनारे संभावित कटाव/फिसलन को रोकने के लिये पर्यावरण वानिकी का प्रावधान रखा गया है, इसके साथ ही निवेश क्षेत्र में स्थित नदी/नालों के दोनों ओर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम १९८४ के अंतर्गत हरित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।
उपरोक्त कंडिका जो विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

4.17 प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र

खुरई निवेश क्षेत्र परिसंकट उन्मुख क्षेत्र के अन्तर्गत रही जाता है। नगर में स्थित लालाब के किनारे संभादित कठाव/फिसलन को रोकने के लिये वर्यावरण बानिकी का प्रावधान रखा गया है, इसके साथ ही निवेश क्षेत्र में स्थित नदी/नालों के दोनों ओर मध्यप्रदेश भूमि विकास रियर 2012 के अन्तर्गत हारित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

2 5.4 सार्वी का क्षेत्रिक स

(ब) बायपास चार्ज

नगर से गुजरने वाले विभिन्न क्षेत्रीय सार्वी को आपस में जोड़ते हुए बायपास चार्ज प्रस्तावित किये गये हैं। इन सार्वी की औडाई 36 मीटर प्रस्तावित की गई है।

उपरोक्त कांडिका द्वारा विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

5.4 सार्वी का क्षेत्रिक स

(ब) बायपास चार्ज

नगर से गुजरने वाले विभिन्न क्षेत्रीय सार्वी को आपस में जोड़ते हुए बायपास चार्ज उपतंरण में संलग्न जातवित्र में दर्शाए अनुचार प्रस्तावित किये गये हैं। हन सार्वी की औडाई 40 से 60 मीटर प्रस्तावित की गई है।

3. 5.5 सार्वी की प्रस्तावित औडाई

सारणी 5-सा-1

उपरोक्त सारणी को विलोपित कर निम्न सारणी प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

5.5 सार्वी को प्रस्तावित औडाई

सारणी 5-सा-1

निम्नानुसार

- खुरई-खिमलासा-बीना चार्ज (रिट्वे क्रासिंग से) प्रस्तावित बायपास चार्ज संगत तक - 30 मीटर;
- खुरई-खिमलासा-बीना चार्ज प्रस्तावित बायपास चार्ज संगत आगे - 60 मीटर;
- खुरई-खिमलासा-बीना चार्ज (रिट्वे तिराहे से) बीना चार्ज संगत तक - 30 मीटर;
- खुरई-रजालासा रेलवे चार्ज प्रस्तावित से (आन्तरिक बायपास चार्ज तक) - 30 मीटर;

5. खुरई—रजवांस मार्ग (आन्तरिक बायपास मार्ग संगम से) 60 मीटर।
6. खुरई—खैरा मार्ग (भूसा मण्डी रेल्वे क्रासिंग से) — 30 मीटर।
7. खुरई—सेमरा बाग मार्ग (रजवांस रेल्वे क्रासिंग से)— 30 मीटर।
8. खुरई—राहतगढ़ मार्ग (प्रस्तावित बायपास मार्ग संगम से) — 60 मीटर।
9. खुरई—पठारी मार्ग (नवोदय विद्यालय से) — 24 मीटर।
10. खुरई—सागर बायपास मार्ग संगम से आगे— 90 मीटर।
11. खुरई हनोता मार्ग— 24 मीटर
12. खुरई ढीहर मार्ग— 24 मीटर

(ब) बायपास मार्ग

1. सागर मार्ग बायपास संगम से ढीहर बायपास मार्ग संगम होते हुये बीना मार्ग पेट्रोल पंप तक— 90 मीटर।
2. खुरई—बीना मार्ग पेट्रोल पंप से आगे— 90 मीटर।
3. ढीहर बायपास मार्ग संगम से खैरा बायपास मार्ग संगम तक— 40 मीटर।
4. बीना प्रस्तावित बायपास मार्ग संगम से पेट्रोल पंप बायपास मार्ग संगम तक — 40 मीटर।

(अ) आंतरिक मार्ग

- (1) सागर — सेमरा — रजवांस — खैरा — खिलासा एम.आर. — 1
- (2) सागर — राहतगढ़ — पठारी — बीना — वारधा मार्ग एम.आर — 1
- (ब) अन्य मार्ग एम.आर. — 2, एम.आर.— 3, एम.आर.— 4, एम.आर.— 5 — 18 मीटर।

4. 5.5 खुरई वर्तमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5—सा—1 (अ) का क्रमांक 17— सागर नाका चौराहा से पेट्रोल पंप तक 24 मीटर।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

5.6 खुरई वर्तमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5—सा—1 (अ) का क्रमांक 17— सागर नाका चौराहा से प्रस्तावित बायपास मार्ग संगम तक 24 मीटर।

5. 6.1 प्रवृत्तशीलता

2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन तथा दूने के व्यावसायिक उपयोग के परिषेष्य में भूमि उपयोग

उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.1 प्रवृत्तशीलता

2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संटुक्तकरण, विलियन उपार्टरण एवं भूमि का उपयोग सन्तुलित है।
3. 6.2 हेत्राधिकार

1. इस अध्याय में दर्जेत विकास नियमन राज्य शासन द्वारा सध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23) की धारा 13(1) के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र पर लागू होते तथा जो नियम इस अध्याय में दर्जेत नहीं है वे स0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 निहित प्रबाधानों के अनुरूप लागू होते।

उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.2 हेत्राधिकार

इस अध्याय में दर्जेत विकास नियमन राज्य शासन द्वारा सध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23) की धारा 13(1) के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र पर लागू होते तथा जो नियम इस अध्याय में दर्जेत नहीं है वे स0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 निहित प्रबाधानों के अनुरूप लागू होते।

6.3 परिभाषा

टीप— अन्य परिभाषाएं स0प्र0 भूमि विकास नियम, 1984 के अनुरूप रहेगी।

उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

अन्य परिभाषा— स0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रबाधानों के अनुरूप होती।

7. 6.4 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

8. स0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम (नियम 94) में निहित प्रबाधानों के अनुरूप विशेषता अल्प आय वर्ग का अभिन्यास लैथार किया जाना चाहिए।

9. सध्यप्रदेश नगर पालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बंधन

शर्त नियम 1996 के प्रावधानों के अनुरूप अन्तर्राजारिक द्वारा हेतु भूमि/भूखण्ड आरक्षित किया जाएगा।

उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर लिम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

6.4 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियम

8. अल्प आय तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अस्थिरास्त म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 {परिशिष्ट. (अ)} के निहित प्रावधानों के अनुरूप बन्द होंगे।
 9. स्थायप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बन्धन तथा शर्त) नियम 1998 द्वारा स्थायप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बन्धन तथा शर्त) नियम 1999 के प्रावधानों के अनुरूप कमज़ोर आयवर्ग हेतु भूमि/भवन आरक्षित कि जाएगी।
8. आवासीय भूखण्डों के विकास आपदण्ड
- सारणी 6-सा-2 की दिखिल दीर्घे
1. उपरोक्त सारणी भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है, उपरोक्त भवन ऊचाई एवं अन्य आपदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियन्त्रित होंगे।
 2. सारणी के अनुकूलक 6 से 13 में दर्शाये गए भूखण्ड के आकारों को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भू-खण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे।
 3. भूतल के नीचे बैंकमैट स्टीकर्ड होगा, जो की रवीकार्य भूतल आञ्चाइन के समतुल्य होगा एवं इसकी गणना फर्शीकेत्र अनुपात में नहीं की जावेगी।
 7. निर्धारित फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम दो कर्मचारी आवास अनुज्ञेय होंगे।
 10. 288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्भित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर दर एक कार पार्किंग रथल प्रावधित होना चाहिए।
- उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर लिम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्तावित है :-

6.4 आवासीय भूखण्डों के विकास सापेक्ष

सारणी 6-सा-2 की विस्तृत टीपे

1. उपरोक्त सारणी भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है, उपरोक्त स्वन जार्याई एवं अन्य सापेक्ष म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होंगे।
2. सारणी के अनुक्रमांक 1 से 4 के भूखण्ड 6 मीटर चौड़े भार्ग पर स्थित होने की दशा में इस पर दो मंजिले आवास निर्माण अनुमति दी जाएगी। सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखण्ड के आकारों को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भूखण्डीय विकास के रूप में सान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप होगी। इन भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर चौड़ा भार्ग होना चाहिए। अनुक्रमांक 1 से 8 तक भूखण्ड की शैणियां निजी आवासों के स्वरूप की होंगी।
3. भूतल के नीचे बैंसमेट स्वीकार्य होगा, म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के अनुसार मान्य होगा।
4. आवासीय प्रयोजन के भूखण्ड पर निर्धारित एफ.ए.आर के अनुरोक्त कर्मचारी आवास का निर्माण मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 61 की सारणी के टिप्पणी (3) के अनुरूप मान्य होगा।
5. भूखण्डों पर स्वीकार्य/निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर की दर पर एक कार पार्किंग का स्थल प्रावधानित होना चाहिये।

6.4.1 समूह आवास:-

समूह आवास परियोजनाओं हेतु मध्यप्रदेश नियम, 1984 के प्रावधान अनुसार सापेक्ष लागू होंगे, समूह आवास परियोजना हेतु अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात 1.60 अनुमति दी जाएगी।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.4.1 समूह आवास:-

समूह आवास, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 तथा नियम 42 (आवश्यकता अनुसार) के अनुरूप मान्य होंगे।



10.

6.4.2 बहुमंजिले इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.4.2 बहुमंजिले इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 42 एवं सहपठित नियम 12 के प्रावधान अनुरूप ऊँचे भवनों का निर्माण मान्य होगा।

11.

6.5 वन आवास (फार्म हाउस) :-

विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र में कृषक के निजी रहवासी हेतु निर्मित क्षेत्र फार्म संबंधी अन्य गतिविधियों आच्छादित क्षेत्र आदि फार्म हाउस के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे

1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा।
2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा।
3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊँचाई 6.5 मीटर होगी।
4. फार्म हाउस के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 445 वर्गमीटर में प्राधिकारी के भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करवाना होगा जिनका विकास का दायित्व आवेदक का होगा।
5. फार्म हाउस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिनके लिये सार्वजनिक मार्ग(सड़क) द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो।
6. वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा।
7. वन आवास से जल स्रोत प्रदूषित नहीं होना चाहिये।
8. वन आवास में भवन/आच्छादित क्षेत्र/मार्ग आदि की संख्या तथा वन आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार/अनुमोदित की जावेगी।
9. किसी भी कृषि भूमि का भू-स्वामी उक्त मापदण्डों के अनुरूप वन आवास के रूप में विकसित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.5 एन आवास (फार्म हाउस) :-

निवेश क्षेत्र में फार्म हाउस के मानक म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 अनुसार सान्य होंगे।

12.

6.6 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिये रूपांकन सार्वदर्शिका :-

- खुरई वाणिज्यिक क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारिणी 6-सा-3 की टीप 2. उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलधर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।

उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.6 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिये रूपांकन सार्वदर्शिका :-

- खुरई वाणिज्यिक क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारिणी 6-सा-3 की टीप 2. उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलधर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।

13.

6.7 ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मानक :-

निवेश क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय राज्य सार्ग को छोड़कर अन्य सार्गों पर पेट्रोल घंप की स्थापना के स्थल हेतु नापदण्ड सारणी 6-सा-5 के अनुसार होंगे। उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.7 ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु नानक :-

ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु सान्य म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3) (चार) के अनुरूप सान्य होंगे।

6.7.2 छविगृहों के लिये लापदण्ड

सारी चौड़ाई:- छविगृहों का भूखण्ड जिस सार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 फीटर से कम नहीं होगी।

भूखण्ड का न्यूनतम:- 2000 वर्गफीटर या 4 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति, जो अधिक हो।

आच्छादित क्षेत्र :— कुल भूखण्ड का 33 प्रतिशत भूतल पर।

एफ.ए.आर:- 1:1.25

सीमांत खुला क्षेत्र—

सामने:- न्यूनतम 15 फीटर

आजू/बाजू:- न्यूनतम 6 फीटर/6 फी., पुष्ट - न्यूनतम 6 फीटर

नोट:- कुल एफ.ए.आर का 10 प्रतिशत क्षेत्र सिनेमा गतिविधियों से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित नियम 82, 83 एवं अन्य नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

पार्किंग, निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं तथा अनुशासिक गतिविधियों के लिए उल्लेखित नियमों का भी पालन करना होगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.7.2 छविगृहों के लिये मापदण्ड

छविगृहों के मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3) (दो) अनुरूप मान्य होगे।

14. 6.7.2 छविगृह हेतु मापदण्ड के पश्चात निम्न कंडिका को अन्तः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.7.3 होटल हेतु मापदण्ड

1. भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र -40 प्रतिशत, समुख मार्ग 12 मीटर

2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात-1:1.50

3. अधिकतम ऊर्ध्वांई -म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 अनुसार

- फर्शी क्षेत्र अनुपात 5 प्रतिशत होटल गतिविधि से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- तल घर म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 अनुरूप मान्य होगे।
- वाहन विराम स्थल म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होंगे।

15

6.8 औद्योगिक विकास मानक

औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होंगे।

1. भूखण्ड का क्षेत्र- न्यूनतम 65 प्रतिशत

2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र- न्यूनतम 25 प्रतिशत

3. ढुकाने एवं अन्य सुविधाएं- न्यूनतम 10 प्रतिशत।

औद्योगिक विकास नियम 1984 के नियम 48(1),(2) के अनुसार भी

आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.8 औद्योगिक विकास मानक

औद्योगिक विकास के मानक म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 48 के अनुरूप होंगे। भूखण्डों को पहुँच प्रदान करने वाले मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होना चाहिये

6.8 प्लेटेड फैक्ट्रीयॉ

प्लेटेड फैक्ट्रीयॉ के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात नये विकसित क्षेत्र में निम्नानुसार होंगा।

— न्यूनतम भूखण्ड का आकार—1000 वर्गमीटर

— निर्मित क्षेत्र— 50 प्रतिशत

— फर्शी अनुपात—1:1.5

— सीमान्त खुला क्षेत्र—स्थल स्थिति एवं अभिन्यास मानकों के अनुसार पार्किंग स्थल मापदण्ड सहित निर्धारित किये जायेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर विभाजन में न्यूनतम 2.05 वर्गमीटर प्रति कामगार की दर से सुविधाओं हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जावेगा। औद्योगिक संस्थान के कामगारों का आंकलन 300 कामगार प्रति हेक्टर (कुल क्षेत्रफल के लिये) की दर से किया जावेगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.8 प्लेटेड फैक्ट्रीयॉ

प्लेटेड फैक्ट्रीयॉ के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के अनुरूप होंगे।

16

6.9 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक

सामाजिक अधोसंरचना के मापदण्ड सारणी 6—सा—8 अनुसार होंगे।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.9 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक

सामाजिक अधोसंरचना के मापदण्ड सारणी 6—सा—8 के प्रावधान न0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 अनुरूप मात्र होंगे।

17.

6.11 वाहन विरास स्थल के मापदण्ड

सारणी 6—सा—12 के प्रावधान सारणी एवं टीप सहित।

उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.11 वाहन विरास स्थल के मापदण्ड

वाहन विरास संबंधित मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगें।

18. कांडिका 6.12 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति।

वह भूमि उपयोग परिसर जो प्रमुख परिक्षेत्रों के अंतर्गत हैं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाने पर स्वीकार्य है :—

क्र.	भूमि उपयोग 1 2	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग 3	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग 4
1	आवासीय सारणी 6—सा—15	आवासगृह, छात्रावास, अतिथिगृह, लाजिंग एवं बोर्डिंग हाउस, धर्मशाला, सामुदायिक हाल, बारात घर, आश्रम गृह, बाल यातायात उद्यान, शिशु भवन, बाल—विहार, याठशालाएं, धार्मिक परिसर, आमोद—प्रमोद उपयोग क्लब, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, टेक्सी व स्फूटर स्टेण्ड, बस स्टाप, आठा चब्की, झूलाघर	व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यवसायिक इकाई आदि जो उसी भवन में स्थित हो, नर्सिंग होम, शोध केन्द्र, अर्द्धशासकीय कार्यालय, स्थानीय दुकानें, पेट्रोल पम्प, हल्के बाहनों की मरम्मत दुकानें, खुला रंगसंच, संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिका, पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र, सहकारी उपभोक्ता भडार, दिवस देखरेख केन्द्र, कम्प्यूटर केन्द्र, म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38 (1) परिशिष्ट—जे भाग—1 एवं 11 में सम्मिलित उद्योग प्रयोगशालाएं।
2	वाणिज्यिक सारणी 6—सा—15	फुटकर दुकानें, उपहार गृह, सुविधाजनक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, छविगृह, बस टर्मिनल, नर्सिंग होम, धार्मिक परिसर, सेवाएं एवं सुविधाएं, छात्रावास, थोक व्यापार, भण्डारण, छविगृह, सेवाकेन्द्र, बस टर्मिनल, धार्मिक परिसर, कर्मशाला, कबाड़—खाना, मण्डी, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा।	धर्मशाला, बारात घर, एक कमरे में लगाने वाले प्रशिक्षण संस्थान, सामुदायिक हाल, संस्कृति प्रचार केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, कला केन्द्र, संग्रहालय, संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, मोटर गैरेज, आवासीय फ्लेट, शीतगृह, सेवा उद्योग, प्रेस परिसर, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन, कम्प्यूटर आधारित प्रिंटिंग प्रेस, छात्रावास, अग्निशमन केन्द्र तथा भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38 (1) परिशिष्ट—जे भाग—1 एवं 11 में सम्मिलित

उद्योग

3	ओडियोगिक (अ) सेवा उद्योग	<p>हल्के उद्योग, जैसे आरा, मरीन, बाल, तेल मिल, दूध डिब्बे वैं भरना, डिब्बे बनाना, मरम्मत कर्मशाला, सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सेवा भवन, उपहार गृह।</p>	<p>पेट्रोल इम्प, परिवहन संस्थाएं, बूँडा करकट स्थान, शोलन दुकानें, जाल गोदान, अग्रेषण अभिकरण।</p>
	(इ) अन्य उद्योग	<p>सामान्य भारी एवं अध्यन उद्योग, शोतगृह, रासाधनिक उद्योग, अन्डे के उद्योग, यद्य निर्माण शाला एवं अन्य उद्योग, राशि आश्रय गृह, सेवा केन्द्र सह कर्मशाला।</p>	<p>कर्मचारी आवास, बस डिपो, कर्मशाला, बस टर्मिनल, रेलवे जाल गोदान, गोदान आवासीय (उद्योग से संबंधी) सेवाएं, सार्वजनिक सेवा भवन, अग्निशमन केन्द्र, सैस भूडारण, रुल यौजनी रिफिलिंग स्टांट।</p>

उपरोक्त काडिका को विलोपित कर निम्न काडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

क्र.	भूमि उद्योग	जरिकेव में स्वीकृत उपयोग	संक्ष अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग
2	3	3	4
1	आवासीय सारणी 8-सा-15	<p>आवासीय गृह, छात्रावास, गैर्ट हाउस, लॉजिंग एवं इंडिंग हाउस, धर्मशाला, बासातधर, सामुदायिक इल, आश्रम गृह, बलक यात्रायात पार्क, प्रयोगशालाएं इत्युक्त संस्कृ वालविहार, यात्रा कार्य, धार्मिक स्थान, आपोद-प्रनोद उद्योग बल्ड, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं टेक्सी वा स्कूटर स्टैण्ड, बस स्टैण्ड।</p>	<p>व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यवसायिक इकाई, नर्सिंग होल कार्यालय होटल, आठा घरकली, पेट्रोल इंप, हल्के वाहनों की नरमत से संबंधित दुकानें, छविगृह, संग्रहालय, पैलिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र, सहकारी उपसेवका बडार, सामुदायिक भवन तथा नियमित भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 (३) परिशिष्ट (च) भाग 1 एवं 2 के सन्तुलित उद्योग।</p>
2	वाणिज्यिक संरणी 9-सा-16	<p>युटकर दुकाने, होटल, रुक्षियजनक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, छविगृह, बस टर्मिनल, नर्सिंग होटल, धार्मिक परिसर सेवाएं एवं सुविधाएं, होस्टल, थोक व्यापार, गोदान, छविगृह, सेवा केन्द्र, बस टर्मिनल धार्मिक परिसर, होटल गैरेज, ठर्कशाय, कडाऊखाना, खड़ी व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान सेवाएं।</p>	<p>धर्मशाला, समान्य रुद कमरे में लगाने वाले प्रशिक्षण संस्थान, सामुदायिक होटल, सार्वजनिक प्रयार केन्द्र, प्रदर्शनी लेन्ड कला केन्द्र, संग्रहालय संगीत सूत्र एवं चिठ्ठक शिल्प केन्द्र, लायब्रेरी, प्रयोगशाला, सोटर गैरेज एवं दर्कशाप, सामान्य बाजार आवासीय फ्लैट, शोतगृह सेवा उद्योग एवं एप, प्रेस कार्पलेबर, कर्मशाला चाल, नियम विकास नियम 2012 के नियम १ परिशिष्ट (च) के भाग १ एवं २ के सन्तुलित उद्योग।</p>

3	औद्योगिक	<p>अ— सेवा उद्योग दूध डिब्बे में भरना, सार्वजनिक सेवा भवन।</p> <p>ब— अन्य उद्योग स्टोरेज, एल.पी.जी. रिफ्लिंग प्लाट, रासायनिक उद्योग, चमड़े के उद्योग, मद्य, निर्माण शाला एवं अन्य उद्योग।</p>	<p>हल्के उद्योग जैसे आरामेल, दाल तेल मिल, पेट्रोल पंप, परिवहन संस्थान, कूड़ा करकट स्थान, शौ—रूम दुकानें उपहार गृह, नाल गोदाम, अग्रेषण अभिकरण म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 (1) परिशिष्ट (च) में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधी उद्योग।</p> <p>सामान्य, भारी एवं मध्यम उद्योग, गैस गोदाम, कोल आवश्यक श्रमिक आवास, बस डिपो कर्मशाला, गोदाम, बस टर्मिनल गृह, रेल्वे माल गोदाम, सेवा कर्मशाला, स.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37(1) परिशिष्ट (च) में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग।</p>
19.	6.12.1 मल्टीप्लेक्स	<p>विभिन्न भूमि उपयोगों के अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स स्वीकृति हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान लागू होंगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—</p> <p>विभिन्न भूमि उपयोगों के अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स स्वीकृति हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू होंगे।</p>	
20.	6.13 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियम :—	<p>6.13 कंडिका के अंतर्गत निम्न नोट अन्तः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—</p> <p>नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म0प्र0 भूमि विकास नियम—2012 के प्रावधानों के अनुसार होगा।</p>	
21.	6.16 विकास / निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया :—	<p>विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन—पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1884 के प्रावधानानुसार, निम्न दस्तावेज / जानकारी संलग्नित की जाना होगी।</p> <p>मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम—17(1) में निर्धारित प्रक्रम पर विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन करना होगा।</p>	

- 12 स0प्र0 भूमि विकास नियम—1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये।
- 14 स0प्र0 भूमि विकास नियम—1984 की धारा 49 (3) के निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित हों।

टीप:-

2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधि स0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप भी ध्यान में रखना चाहिये।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.16 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया

विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन—पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार, निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना होगी।

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम—17(1) में निर्धारित प्रपत्र पर विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन करना होगा।
- 12 अनुज्ञा आवेदन के साथ स0प्र0 भूमि विकास नियम—2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। अनुज्ञा हेतु आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये।
- 14 स0प्र0 भूमि विकास नियम—2012 के नियम 49(1) टिप्पणी क्रमांक 4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि पर विकास योजना के प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित हों।

टीप:-

2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधि स0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।

22.	<u>6.13 विकास योजना के प्रस्तावों प्राप्ति हेतु प्रक्रिया:-</u>
	म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न अभिलेखों कि आवश्यकता होगी।
1	परिशिष्ट-2 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र।
2	प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो।
3	अद्यतन खसरा पॉचसाला एवं खसरा खतौनी।
4	आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा।
5	जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत करें।
उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—	<u>6.13 विकास योजना के प्रस्तावों प्राप्ति हेतु प्रक्रिया:-</u>
1	म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) की टिप्पणी 4 के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न अभिलेखों की आवश्यकता होगी।
2	निर्धारित प्रपत्र के आवेदन पत्र।
3	प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर
4	तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो।
5	अद्यतन खसरा पॉचसाला एवं खसरा खतौनी।
6	आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा।
7	भूमि का पंजीकरण प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत करें।
23.	<u>अध्याय-7</u>
	<u>7.1 योजना क्रियान्वयन</u>
	भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी अनेक प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 एवं अधिनियम 1973 में निहित है।
	उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—
अध्याय-7	भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी अनेक प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित है।

7.3 योजना क्रियान्वयन की तौर पर

9 ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र के सूखणा का आकार सध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम-53 (1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहाँ कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

उपरोक्त कांडिका को दिलोपित कर लिप्त कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

7.3 योजना क्रियान्वयन की तौर पर


9 ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र ने सूखणा का आकार सध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-33(1) (एक)(दो) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहाँ कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के नायम से प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mahatownplan.nic.in तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सारांश सुच्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका खुरई एवं कलेक्टर, जिला सचिव ले कार्यालय वै साजिष्ठ में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन तक की कालावधि में कार्यालयीन समय में अद्वारा के दिन को छोड़कर, निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

इतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अदर संचित, सध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, कक्ष क्रमांक - 302 वी, तृतीय तल, संचालय, नियम ने लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक है 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारेप्राप्त निर्णय लिया जा सकेगा।

 सध्यप्रदेश के सचिव से

तथा आवेदनात्मक,


(राज्य सचिव)

उप सचिव

सध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग



अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत आर्टी किये जाने वाली सूचना के प्रारूप के लिये खस्तों की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खस्ता क्रमांक	विकास योजना में भूमि उपयोग	उपांतरण अपरांत प्रस्तावित भू-उपयोग
1	2	3	4	5
1.	रेंगुवा	72 का भाग	यातायात नगर	बाय-पास मार्ग
		73 का भाग	शासकीय रास्ता	बाय-पास मार्ग
		74 का भाग	यातायात नगर	बाय-पास मार्ग
		76 का भाग	यातायात नगर	बाय-पास मार्ग
		77 का भाग	यातायात नगर	बाय-पास मार्ग
		78 का भाग	यातायात नगर	बाय-पास मार्ग
		79 का भाग	यातायात नगर, कृषि	बाय-पास मार्ग
		80 का भाग	यातायात नगर	बाय-पास मार्ग
		87 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		88 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		89 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		90 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		91 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		98 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		99 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		100 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		101 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		154 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		155 का भाग	कृषि एवं प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	बाय-पास मार्ग
		157 का भाग	कृषि एवं प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	बाय-पास मार्ग

1	2	3	4	5
रेगुला	70 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर	
68 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर		
67 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर		
73 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर		
66 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर		
83 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर		
83 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर		
84 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि		
85 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि		
111 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि		
73 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि		
110 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि		

1	2	3	4	5
	108 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय—पास मार्ग		कृषि
105 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय—पास मार्ग			कृषि
106 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय—पास मार्ग			कृषि
104 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय—पास मार्ग			कृषि
91 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय—पास मार्ग			कृषि
154 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय—पास मार्ग			कृषि
157 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय—पास मार्ग			कृषि
156 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय—पास मार्ग			कृषि

1	2	3	4	5
		56 का भाग	प्रस्तावित मण्डी	बाय-पास मार्ग
45	का भाग	शासकीय रास्ता		बाय-पास मार्ग
41	का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
40	का भाग	शासकीय रास्ता		बाय-पास मार्ग
36	का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
35	का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
34	का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग

1		3	4	
3.	सतनाई	257 का भाग	कृषि	
				बाय—पास मार्फ
				बाय—पास मार्फ
240	का भाग	कृषि		बाय—पास मार्फ
244	का भाग	कृषि		बाय—पास मार्फ
245	का भाग	कृषि		बाय—पास मार्फ
166	का भाग	कृषि		बाय—पास मार्फ
168	का भाग	कृषि		बाय—पास मार्फ
167	का भाग	कृषि		बाय—पास मार्फ
169	का भाग	कृषि		बाय—पास मार्फ
170	का भाग			बाय—पास मार्फ
141	का भाग			बाय—पास मार्फ
80	का भाग			शामली यात्रा
140	का भाग			बाय—पास मार्फ
137	का भाग			बाय—पास मार्फ
236	का भाग			नाला
				बाय—पास मार्फ

1	2	3	4	5
सतनाई	सतनाई	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अद्द्वार्जनिक	
157 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक		
157 का भाग	कृषि	मार्ग		
149 का भाग	कृषि	मार्ग		
151 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक		
151 का भाग	कृषि	मार्ग		
152 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक		
152 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक		
152 का भाग	कृषि	मार्ग		
153 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक		
153 का भाग	कृषि	मार्ग		
154 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक		
156 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक		
156 का भाग	कृषि	मार्ग		
138 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक		

1	2	3	4
		138 का भाग	कृषि
		138 का भाग	कृषि
		139 का भाग	कृषि
		137 का भाग	कृषि
		137 का भाग	कृषि

5
सार्वजनिक एवं अद्वार्जनिक

मार्ग

मार्ग

मार्ग

संग्रह

संग्रह

1	2	3	4	5
4.	जगदीशपुरा	116 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
	113 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	112 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	115 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	111 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	110 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	103 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	102 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	101 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	100 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	48 का भाग	शासकीय रास्ता		बाय-पास मार्ग
	22 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	21 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	19 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	4 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग

1	2 नामदीशपुरा	3	4	5
	120 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
119	का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
119	का भाग	कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
119	का भाग		मार्ग	
118	का भाग	कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
118	का भाग	कृषि		मार्ग
117	का भाग	कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
117	का भाग	कृषि		मार्ग
107	का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
107	का भाग	कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
108	का भाग	कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
108	का भाग	कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
109	का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
109	का भाग	कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्यावर्जनिक
		कृषि		मार्ग

1	2	3	4	5
	105 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक
104 का भाग		कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक
104 का भाग		कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक
103 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक	
103 का भाग		कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक
102 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक	
102 का भाग		कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक
101 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक	
101 का भाग		कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक
110 का भाग		कृषि		सार्वजनिक एवं अद्व्युत्तमार्वजनिक
110 का भाग			मार्ग	
21 का भाग		कृषि		आवासीय
21 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग			आवासीय
20 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग			आवासीय

1	2	3	4	5
		20 का भाग	कृषि	आवासीय
19	का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		आवासीय
19	का भाग		कृषि	आवासीय
18	का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग		आवासीय
18	का भाग		कृषि	आवासीय
22	का भाग		कृषि	कृषि

1	2	3	4	5
5.	परसोरा	175 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
	174 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	171 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं कृषि।		बाय-पास मार्ग
	173 का भाग		कृषि	बाय-पास मार्ग
	154 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं कृषि।		बाय-पास मार्ग
	144 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं कृषि।		बाय-पास मार्ग
	102 का भाग	आपत्ति क्रमांक-३ में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)		बाय-पास मार्ग

1	2	3	4	5
		100 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुराग प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		97 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुराग प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		96 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुराग प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		93 का भाग	नाला	बाय-पास मार्ग
		92 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुराग प्रस्तावित आवासीय	बाय-पास मार्ग

3

1	2	3	4	5
		(प्रारूप विकास योजना में मूः-उपयोग कृषि)		
83 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग, आपत्ति क्र.3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवारीय (प्रारूप विकास योजना में मूः-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग		
82 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग, आपत्ति क्र.3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवारीय (प्रारूप विकास योजना में मूः-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग		

(16)

1	2	3	4	5
				कृषि
	85 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग		
83 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग			कृषि
82 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग			कृषि
81 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग			कृषि
74 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग			कृषि

1	2	3	4	5
6.	रीठोर	198 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति हारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		197 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति हारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		184 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रत्यावित औद्योगिक उपयोग	बाय-पास मार्ग
		181 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रत्यावित औद्योगिक उपयोग	बाय-पास मार्ग
		180 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रत्यावित औद्योगिक उपयोग	बाय-पास मार्ग
		179 का भाग	आपत्ति क्र.-3 में समिति हारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय(प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		178 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति हारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग

1	2	3	4	5
	177 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)		बाय-पास मार्ग
165 का भाग		आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)		बाय-पास मार्ग
164 का भाग		प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग		बाय-पास मार्ग
163 का भाग		प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग		बाय-पास मार्ग
136 का भाग		प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक		बाय-पास मार्ग
135 का भाग		प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक		बाय-पास मार्ग
133 का भाग		प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित सामान्य वाणिज्यिक		बाय-पास मार्ग
132 का भाग		प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक		बाय-पास मार्ग

(२०)

1	2	3	4	5
		131 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग
		130 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग
		129 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग
		59 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग

1	2	3	4	5
	रीठोर	179 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		178 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		177 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		166 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		165 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		165 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 के अनुसार समिति द्वारा आवासीय उपयोग हेतु मान्य (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	कृषि
		164 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		164 का भाग	औद्योगिक	कृषि
		163 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		163 का भाग	औद्योगिक	कृषि
		162 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		127 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		128 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि

(२०१८)

1	2	3	4	5
	129 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग		कृषि
	130 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग		कृषि
	131 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग		कृषि
	132 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग		कृषि
	125 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग		कृषि
	124 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग		कृषि
	124 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग	यातायात नगर	
	59 का भाग	बाय—पास मार्ग का भाग	यातायात नगर	

नोट :-

(1) उक्त उपान्तरण सूची का भाग एक मानचित्र भी रहेगा जिसका अवलोकन संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्टर कार्यालय सागर, नगर पालिका परिषद् खुरई एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में किया जा सकेगा।

(2) बिन्दु क्रमांक-1 में उल्लेखित मानचित्र के अनुसार सेवकशन अ—अ एवं ब—ब के मध्य प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग को यथावत रखा गया है।


संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला—कार्यालय सागर

(2.3)

अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत जारी किये जाने वाली सूचना के प्रारूप के लिये खसरों की अतिरिक्त सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	विकास योजना में भूमि का उपयोग	उपार्तण उपरात प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2	3	4	5
1.	रीठोर	5 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		8 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		9 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		10 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		11 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		13 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		14 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		15 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		90 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		95 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		96 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		97 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		104 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		105 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		106 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		107 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		108 का संपूर्ण भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		109 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		174 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		179 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग

1	2	3	4	5
परस्मोरा		बाय-पास मार्ग		
60 का भाग		बाय-पास मार्ग		
63 का भाग		बाय-पास मार्ग		
69 का भाग		बाय-पास मार्ग		
70 का भाग		बाय-पास मार्ग		
75 का भाग		बाय-पास मार्ग		
76 का भाग		बाय-पास मार्ग		
79 का भाग		बाय-पास मार्ग		
87 का भाग		बाय-पास मार्ग		
89 का भाग		बाय-पास मार्ग		
90 का भाग		बाय-पास मार्ग		
91 का भाग		बाय-पास मार्ग		
104 का भाग		बाय-पास मार्ग		
143 का भाग		कृषि		

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सागर

